<u>न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, काशीपुर, जिला–उधम सिंह नगर।</u>

प्रकीर्ण फौजदारी वाद संख्या–195 / 2022(क0नं0–719 / 2022)

कुलविन्दर सिंह बनाम आशीष शेखावत

<u>दिनांक 26.11.2022</u>

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली प्रार्थी कुलविन्दर सिंह मय विद्वान अधिवक्ता श्री राजकुमार उपस्थित।

प्रार्थी की ओर से विपक्षी पर पैरवी हेतु डाक रसीद दिनांकित 21.10.2022 की डाक रसीद दाखिल की गई है। पैरवी लिए जाने के बाद 01 माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है तथा विपक्षी को प्रेषित लिफाफा वापस प्राप्त नहीं है। विपक्षी पर तामीली पर्याप्त होने की उपधारणा की जाती है। पत्रावली वास्ते सुनवाई लंच बाद पेश हो।

(मिथिलेश पाण्डेय)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर,
जिला–ऊधम सिंह नगर।

<u>लंच बाद</u>

पत्रावली पुनः पेश हुई। पत्रावली प्रार्थी कुलविन्दर सिंह मय विद्वान अधिवक्ता श्री राजकुमार उपस्थित। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–142 परक्राम्य लिखत अधिनियम पर सुना गया।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 142 परक्राम्य लिखत अधिनियम मय शपथपत्र इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का परिवाद माननीय न्यायालय में 45 दिन के अन्दर दायर करना था, किन्तु प्रार्थी को विपक्षी को प्रेषित नोटिस की तामीली की जानकारी नहीं हो पाई। इस कारण प्रार्थी समायवधि के भीतर उक्त परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सका। अतः परिवाद प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा कर परिवाद को दर्ज किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र पर विपक्षी को आपत्ति पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये, किन्तु पर्याप्त तामली के उपरान्त भी विपक्षी न्यायालय में उस्थित नहीं आया। ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी को प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–142 एन. आई.एक्ट पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी द्वारा मुकदमा दायर करने में हुए विलम्ब का कारण विपक्षी को नोटिस तामील होने की जानकारी न होना बताया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–142 परक्राम्य लिखत अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अंतर्गत धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली तलबी के बिन्दु पर बहस हेतु दिनांक 29. 11.2022 को पेश हो।

(मिथिलेश पाण्डेय)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर,
जिला–ऊधम सिंह नगर।